



राजस्थान



सरकार



कार्यालय जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अलवर

क्रमांक:—

दिनांक:—

—:कार्यालय आदेश:—

मैं आर्तिका शुक्ला, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अलवर, आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय-04 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलवर जिले में गर्मी को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आगामी दिवसों में तापमान वृद्धि से गर्मी व लू (हीट वेव) के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर के पत्रांक 59 दिनांक 24.04.2026 से किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अलवर जिले में संचालित प्री-प्राइमरी से कक्षा -08 तक के समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27.04.2026 से ग्रीष्मावकाश तक का समय प्रातः 07.30 बजे से 12.00 बजे तक किये जाने का आदेश देती हूँ। समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों की कक्षा 09 से 12 तक के विद्यार्थियों, समस्त स्टाफ का विद्यालय समय यथावत रहेगा।

उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अलवर

दिनांक:—

क्रमांक:—

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान अति. मुख्य सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राज0 जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त, संभाग जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी सहायता, अलवर।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अलवर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(मु0) माध्यमिक/प्रारम्भिक अलवर।
8. उपखण्ड अधिकारी समस्त अलवर।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला अलवर।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अलवर

RajKaj Ref No.:
21791500

M e-Sign

